क्र0 सं0	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	टिप्पणी,ता
01	02	03

12.11.21

न्यायालय, अभिराम त्रिवेदी वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा

उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं0-102/2021 राज्य बनाम सौरभ कुमार एवं अन्य

-:आदेश:-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-931/म.नि., दिनांक-02.07.2021 के द्वारा कुमारखंड थाना कांड सं0-193/2021, दिनांक-12.07.2021, धारा-30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम-2018 के तहत् जब्त पुराना लाल रंग का हीरो पैसन प्रो मोटर साईकिल निबंधन सं0 अस्पष्ट, जिसका इंजन नं0-HA10ETFHC58755 चेचिस नं0-MBLHA10BJFHC65016 है को राज्यसात करने का प्रस्ताव समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं0-102/2021 राज्य बनाम सौरभ कुमार एवं अन्य दर्ज किया है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद के द्वारा राखे गए पक्ष को सुनवाई के उपरान्त वाद को अंगीकृत किया गया एवं नियमानुसार वाद निष्पादन हेतु अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में हस्तांतरित किया है, जिस पर दिनांक-21.08.2021 से कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्राप्त प्रस्ताव में प्रतिवेदित किया है कि विषयोक्त थाना कांड में जब्त मोटर साईकिलों को कोडिनयुक्त कफ-सीरफ के साथ बरामद करने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है। जब्त मोटर साईकिल को राज्यसात करने की अनुशंसा की है।

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सुनवाई की अगली तिथि निर्धारण कर इस न्यायालय के डी0बी0 नं0-42/न्या0, दिनांक-06.09.2021 के द्वरा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार प्रतिवादी सं0-01 श्री सौरभ कुमार, पिता पवन मंडल, सा0-कुमारखंड वार्ड नं0-11, थाना-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा एवं प्रतिवादी सं0-02 श्री संजीव कुमार, पिता श्री अशोक मंडल, सा0-कुमारखंड वार्ड नं0-11, थाना-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा के नाम से नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस को अंकित पते पर अलग-अलग निबंधित डाक के माध्यम से तामिला हेतु भेजा गया। जिसका निबंधन सं0-RF621330193IN एवं RF621329924IN है। तत्पश्चात् सुनवाई की अगली तिथि 26.08.2021 एवं 23.09.2021 को निर्धारित की गई। दिनांक-23.09.2021 को प्रतिवादियों की ओर से अधिकृत विज्ञ अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाब दाखिल करने एवं पक्ष रखने हेतु समय की याचना की। उनके द्वारा किए गये अनुरोध को स्वीकृत करते हुए अगले तिथि को निश्चित् रूप से जवाब दाखिल करने एवं पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 30.10.2021 को प्रतिवादियों के द्वारा अधिकृत विज्ञ अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं लिखित जवाब दाखिल किया गया। उपस्थित प्रतिवादियों के विज्ञ अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद का पक्ष सुनकर अभिलेख ओदश पर रखा गया। रखे गये पक्ष निम्न प्रकार हैः-

प्रतिवादी के अधिकृत विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा रखे गए पक्ष एवं दाखिल लिखित जवाब में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत मामले में जब्त मोटर साईकिल जिसका इंजन नं0-HA10ETFHC58755 चेचिस नं0-MBLHA10BJFHC65016 है का मालिक प्रतिवादी सं0-02 श्री संजीव कुमार, पिता श्री अशोक मंडल, सा0-कुमारखंड वार्ड नं0-11, थाना-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा है। अपने धर से एक झोला में रखे हुए समान लेकर हमलोग यथा प्रतिवादी सं0-01 एवं 02 विषयोक्त थाना कांड में जब्त मोटर साईकिल पर सवार होकर अपने सगा-संबंधियों के यहाँ आयोजित शादी समारोह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु जा रहे थे। इसी दौरान छरापट्टी नहर के समीप पुलिस बल के द्वारा हम दोनों को रोक कर मोटर साईकिल की तलाशी लेना सुरु किया। हम दोनों के बीच में रखे झोला की तलाशी ली गई। जिसमें कोडिनयुक्त कफ-सीरफ बरामद की गई। इस संबंध में फोन पर धर वालो से पूछ-ताछ करने पर पता चला कि वह झोला हमारा नहीं है। हमलोग निर्दोष है। जब्त मोटर साईकिल को गाड़ी मालिक के पक्ष में विमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद का कथन है कि उक्त मामले में नामजद अभियुक्त एवं जब्त मोटर साईकिल के मालिक के द्वारा अपना-अपना पक्ष रख गया। गाड़ी मालिक और

नामजद अभियुक्त के द्वारा रखे गये पक्ष विल्कुल ही असत्य है। चूँकि जब्त मोटर साईकिल प्रतिवादी सं0-02 की है। जिसमें दोनो अभियुक्त अपने धर से एक झाला में समान लेकर अपने सगा-संबंधियों के यहाँ आयोजित शादी समारोह में सम्मिलित होने हेतु जा सहे थे। जब वे अपने धर से झोला लेकर चले थे उन्हेंने पता था कि झोला में कम-सीरफ है। चूँकि वे दोनों झोला अपने धर से ही लिया था। इन्होंने यह बात लिखित रूप से स्वीकार किया है। वेसे भी दर्ज प्राथमिकी में स्पष्ट अंकित है कि दिनांक-11.07.2021 को स्थानीय पुलिस दिवा गश्ती करते हुए छरापट्टी नहर के पास था। समय करीब 15:00 बवे सुचना मिली कि एक मोटर साईकिल पर सवार दो युवक खुरदा की ओर से नहर के रास्ते प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ-सीरफ ले कर छरापट्टी नहर की ओर आ रहा है। यह सूचना पाकर नहर के रास्ते जैसे ही आगे बढ़े की सामने से एक मोटर साईकिल पर सवार दो युवक पुलिस वाहन को देखकर गाड़ी धुमाने लगे, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई को देख आस-पास के लोग जमा हो गई। उक्त जमा भीड़ में से ही दो को स्वतंत्र गवाह बनाकर अपन तथा साथ में पुलिस बल का जमा तलाशी नियमानुसार करते हुए पकड़े गये दोनो युबक के बीच में रखे हुए प्लास्टिक का झोला जो पीछे बैठे हुए व्यक्ति पकड़ा था कि तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर उक्त झोला में 21(इक्कीस) पीस कोडीनयुक्त कफ-सीरफ प्रत्येक की मात्रा 100 एम.एल. का है बरामद हुआ है। जिसे वर्णित नियमावली के तहत् उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार बरामद कफ-सीरफ एवं मोटर साईकिल की विधिवत जब्ती सूची तैयार किया गया है। जिसमें पकड़े गये अभियुक्त एवं स्वतंत्र गवाह का हस्ताक्षर अंकित है। जिसकी एक प्रति प्रतिवादी को भी उपलब्ध कराया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि घटना स्थल पर अवैध कोडिनयुक्त कफ-सीरफ के साथ मोटर साईकिल जब्त किया गया है। दर्शित स्थिति में उक्त घटना क्रम में उपयोग में लाये गये मोटर साईकिल प्रावधान के अनुसार अधिग्रहण योग्य है, जिससे अग्रिहित किया जा सकता है।

जब्त मोटर साईकिल के मालिक/प्रतिवादी के द्वारा अधिकृत विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल लिखित जबाव एवं रखे गये पक्ष तथा विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद की दलील सुनने उपरान्त अभिलेख में रक्षित कागजातों को गहनता से देखा गया। जब्त मोटर साईकिल से अबैध कोडिनयुक्त कफ-सीरफ बरामद किए जाने की पुष्टि होती है। मादक पदार्थ को ले जाने अथवा ढ़ोने में जब्त मोटर साईकिल का उपयोग किया जाना स्पष्ट परिलक्षित होता है। प्रतिबंधित सामग्री लेकर वाहन चलाना एवं वाहन का उपयोग करना दण्डनीय अपराध के दायरे में आता है। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 (ध) एवं संशोधित अधिनियम-2018 की धारा 13(ख) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "जब कभी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया जाता है तो निम्नांकित वस्तुएँ अधिहरण की भागी होगी यथाः-किसी मादक द्रव्य या शराब ढ़ोने के लिए उपयोग में लाया गया कोई जानवर, जलयान, वाहन या अन्य सवारी।" जब्त मोटर साईकिल शराब को ढोने, ले जाने में उपयोग किया गया है। जब्त मोटर साईकिल के मालिक के द्वारा मोटर साईकिल से कोडिनयुक्त कफ-सीरफ बरामद नहीं किए जाने संबंधी कोई ठोस साक्ष्य इस न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

अतः बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56(ध) एवं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा-13(ख) की परिधि के अन्तर्गत पाये जाने के कारण जब्त मोटर साईकिल जिसका इंजन नं0-HA10ETFHC58755 चेचिस नं0-MBLHA10BJFHC65016 है को अधिग्रहित करते हुए बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा-58 (2) के तहत राज्यसात (Confiscate) करने का आदेश दिया जाता है।

अधीक्षक, मद्यनिषेध मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे जब्त मोटर साईकिल का मूल्य निर्धारण करवा कर उसे न्यूनतम जमा राशि मानते हुए निलामी करायेंगे। इस निलामी में भाग लेने वालों में से सबसे अधिक बाली लगाने वालों को ही उच्चतम मूल्य निर्धारित माना जायेगा। मोटर साईकिल मालिक निलामी की प्रक्रिया में भाग लेकर उच्चतम बोली अदा कर प्रथमतः मोटर साईकिलक प्राप्त कर सकते है। अन्यथा उक्त मोटर साईकिल उच्चतम बोली लगाने वालें को, उनसे राशि भुगतान पश्चात् उन्हें दे दी जाऐगी। निलामी की सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण होने के उपरान्त मोटर साईकिल विमुक्ति की

सुचना संबंधितों को अपने स्तर से देगें। मोटर साईकिल निलामी से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवा दी जाऐगी।

उक्त आदेश से विक्षुब्ध पक्ष चाहें तो अपीलीय प्रधिकार आयुक्त उत्पाद बिहार पटना के न्यायालय में अपील दायर कर सकते है।

इस निदेश के साथ वाद में आगे की कार्यवाही समाप्त की जाती है आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अधीक्षक, मद्यनिषघ,मधेपुरा/थानाध्यक्ष, कुमारखंड एवं मोटर साईकिल मालिक को भी दें तथा एक प्रति जिला के वैवसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

Sd/-

(अभिराम त्रिवेदी)
वरीय उप समाहर्त्ता,मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

Sd/-

(अभिराम त्रिवेदी)
वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा।

डी0बी0 नं0-96/न्या0, दिनांक 12.11.2021

प्रतिलिपिः प्रतिवादी सं0-01 श्री सौरभ कुमार, पिता पवन मंडल, सा0-कुमारखंड वार्ड नं0-11, थाना-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा एवं प्रतिवादी सं0-02 श्री संजीव कुमार, पिता श्री अशोक मंडल, सा0-कुमारखंड वार्ड नं0-11, थाना-कुमारखंड, जिला-मधेपुराको सुचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः थानाध्यक्ष, कुमारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः अधीक्षक, मद्यनिषेध, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, मधेपुरो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिला के वैवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अभिराम त्रिवेदी)
वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा।

12/11/21